न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 85 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 256**
दायर दिनांक :– 21.05.2024 **निर्णय दिनांक :– 24.04.2025**

1. झबरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. भीखसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. चंदनसिंह पुत्र सावलसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
3. मनोहरसिंह पुत्र सावलसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
4. हडमानसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
5. महीपालसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
6. विरेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
7. ताराचंद पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी घंटियाल तहसील नोखामण्डी जिला बीकानेर
8. हीराराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी घंटियाल तहसील नोखामण्डी जिला बीकानेर
9. आशा चौधरी पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी घंटियाल तहसील नोखामण्डी जिला बीकानेर
10. नरेश जाट पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी घंटियाल तहसील नोखामण्डी जिला बीकानेर
11. गवरादेवी पत्नी दानाराम जाति जाट निवासी घंटियाल तहसील नोखामण्डी जिला बीकानेर
12. प्रियंका पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी घंटियाल तहसील नोखामण्डी जिला बीकानेर
13. शारदा पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी घंटियाल तहसील नोखामण्डी जिला बीकानेर
14. सुरेश पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी घंटियाल तहसील नोखामण्डी जिला बीकानेर
15. सूमल कंवर पत्नी उगमसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता अ.सं. 15

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 के विरूद्व एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमे वर्णित अभिवचनों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया दावा प्रार्थी के पक्ष में है सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त दावा में प्रार्थी को पूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के पूर्वज जागीरदार थे जिनकी जागीर पीढी दर पीढी चली आ रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के पड़दादा जागीरदार थे। जिनके कब्जे काश्म में राजस्व ग्राम दुर्जन के खसरा नम्बर 150 रकबा 5.1395 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 197 रकबा 6.4345 हैक्टेयर भूमि थी बाद में नये राजस्व ग्राम का सृजन हो जाने से वर्तमान में उपरोक्त वर्णित भूमि सुमराणी मंगलियों की बस्ती पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप में स्थित है। विवादित भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पीढियों पुरानी भूमि है प्रार्थी के पूर्वज जागीरदार होने से विवादित भूमि पर प्रार्थी का पीढीदर पीढी कब्जा काश्त चला आ रहा है विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तेनी सम्पति है जिस पर प्रार्थी का जन्म से ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये है। विवादित भूमि राजस्व ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती के खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 5.1395 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 197 रकबा 6.4345 हैक्टेयर भूमि पर जागीरदार रूधसिंह का कब्जा काश्त था उसके बाद शम्भूसिंह का कब्जा रहा है शम्भूसिंह का वक्त सैटलमेंट देहान्त हो जाने से विवादित भूमि सांगसिंह पुत्र विजयसिंह 1/2 हिससा, लालसिंह पुत्र सोनसिंह तथा प्रार्थी के दादा लालसिंह पुत्र शम्भूसिंह का 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त होने से इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई इस प्रकार विवादित भूमि पर प्रार्थी के दादा का 1/4 हिस्सा बंट में आता है। प्रार्थी के दादा का देहान्त हो जाने से उतराधिकारी नामान्तरकरण संख्या 121 ग्राम देदासरी द्वारा प्रार्थी के पिता गुमानसिंह तथा उसके भाई सांवलसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। विवादित भूमि पुश्तैनी होने हुवे भी गुमानसिंह तथा सांवलसिंह द्वारा सम्पूर्ण भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 13 के पूर्वजों को अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया जबकि विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता गुमानसिंह को 1/24 हिस्सा बनता है जबकि उनके द्वारा 1/8 हिस्सा का अपने हिस्से से अधिक हिस्से को विधि विरुद्ध बेचान कर दिया उस बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 246 ग्राम देदासरी नियम विरुद्ध स्वीकार कर लिया जिसको प्रार्थी निरस्त करवाकर विवादित भूमि में अपने 1/24 हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का आगे बेचान हस्तान्तरकरण कर देने तथा मौके पर पक्का निर्माण कार्य कर देने से तथा प्रार्थी को अपने कब्जा कातश की भूमि से बेदखल कर देने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र वास्ते विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 15 की और से अधिवक्ता सुभाष विश्नोई ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण इत्यादि

उपखंड कलेक्टर
बाप (फलोदी)

दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त प्रार्थी के दादा लालसिंह व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज थी। लालसिंह फौत होने पर वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 121 मौजा देदासरी दर्ज की गयी। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 15 के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि में वादी का कितना पैतृक हिस्सा बनता है इसका निर्धारण वाद पत्र के अभिवचनों, जवाबदावें के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्योपरान्त तय किया जाना है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)